संख्या-2/2019/509/पचासी-१९-२५(परती)/२०१९

प्रेषक,

टी0 वेंकटेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ: दिनांक- 25 सितम्बर, २०१९**

विषय:- उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-।।। (विश्व बैंक पोषित) के लम्बित देयों का भुगतान कर विश्व बैंक से उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० के बजट में प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 २०.०० करोड के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 १०.०० करोड की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्रांक-१६९४/वि0नि0/बजट/२०१९-२०, दिनांक २० जून २०१९ के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-।।।(विश्व बैंक पोषित) योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 २०००.०० लाख (रूपये बीस करोड मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रू0 १०००.०० लाख (रूपये दस करोड मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि के आहरण हेतु बिल उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के बाद सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण कर यथावश्यकता व्यय किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते मे जमा नहीं किया जाएगा।

3- धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जो इसके एकाउण्टस भी तैयार कराकर स-समय उपलब्ध करायेंगे।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा केवल निगम के पत्रांक-१६९४/वि0नि0/बजट/२०१९-२०, दिनांक २० जून २०१९ में उल्लिखित कम्पोनेन्ट एवं उसके सापेक्ष लम्बित देयकों पर ही किया जायेगा। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद मे डायवर्जन किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा रिट्रोएक्टिव फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत धन देने के लिए सहमति दी गयी है।

6- उक्त वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 सोडिक लैण्ड तृतीय परियोजना के लम्बित देयकों के भुगतान के लिए दी जा रही है। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष २०१९-२० के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9704-उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-।।। (विश्व बैंक पोषित) के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/10-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 दवारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10- उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए।

११- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

१2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-१/२०१९/बी-१-१७०/दस-२०१९-२३१/२०१९ दिनांक 22 मार्च २०१९ तथा शासनादेश दिनांक ०६-०६-१९९४ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/शर्तो एवं उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

टी0 वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2019/509(१)/पचासी-१९-२५(परती)/२०१९, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालत्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-1।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र विक्रम
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in